न्यायमूर्ति जी.एस. सन्धावालिया के समक्ष

सतबीर *सिंह- याचिकाकर्ता*

बनाम

पुलिस महानिदेशक, हरियाणा और अन्य- उत्तरदाता

1997 की सीडब्ल्यूपी संख्या 11500

जनवरी 11,2013

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226, 227 - पंजाब पुलिस नियम, 1934 - नियम 16.2- याचिकाकर्ता सेवा से अनुपस्थित था - नियमित नोटिस जारी किए गए थे - इसे चुनौती दी गई - बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था - अनुपस्थिति को गंभीर कदाचार के रूप में लिया गया था - आयोजित, सेवा के कार्यकाल को ध्यान में नहीं रखा गया था और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया गया था - याचिकाकर्ता अपनी सेवा के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए कम सजा की राहत का हकदार है – रिट को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।

अभिनिर्धारित किया गया कि वर्तमान मामले में, जैसा कि यह देखा गया है कि 19.08.1994 को बर्खास्तगी का आदेश पारित होने के बाद ही और याचिकाकर्ता द्वारा 23.08.1994 को प्राप्त किया गया था, याचिकाकर्ता को अचानक इस तथ्य के बारे में पता चला कि उसे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना था और वह अभी भी सेवा में था और फिर 8 महीने से अधिक समय तक ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करने के बाद 22.09.1994 को अपील दायर की। यह अनुपस्थिति अपने आप में गंभीर कदाचार थी जैसा कि दंड देने वाले प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया गया था। याचिकाकर्ता, हालांकि, अपनी सेवा के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए कम सजा की राहत का हकदार है, क्योंकि माना जाता है कि उसे 08.09.1981 को नियुक्त किया गया था और 19.08.1994 को बर्खास्तगी की तारीख को उसकी लगभग 13 साल की सेवा थी। दंड देने वाले प्राधिकारी ने उन्हें बर्खास्त करते हुए, आक्षेपित आदेश में सेवा के कार्यकाल और पेंशन के लिए उनके दावे पर विचार करने में विफल रहे। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 के समक्ष अपनी अपील में भी पेंशन के लिए अपने दावे को आगे बढ़ाया लेकिन प्रतिवादी नंबर 2 और 3 इस पहलू पर विचार करने में विफल रहे और अपील और पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

(पैरा 10 और 11)

आगे कहा गया, कि तदनुसार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी के समय लगभग 13 साल की सेवा थी और अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा सेवा पर विचार नहीं किया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बर्खास्तगी का आदेश 19-08-1994 को वापस पारित किया गया था, यह उचित होगा यदि इसे 19.08.1994 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में परिवर्तित किया जाए और प्रतिवादी नियमों के अनुसार हकदार होने पर सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर कार्रवाई करेंगे। उक्त प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर की जाएगी।

(पैरा 14)

विपुल जिंदल, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता के लिए*

सौरव मोहंता, डीएजी हरियाणा।

न्यायमूर्ति जी.एस. सन्धावालिया,

(1)वर्तमान याचिका को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत 19.08.1994 के आदेशों को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता, पुलिस बल में एक कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है। 14.12.1994 को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा अपील को खारिज करने और 12.07.1996 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संशोधन को खारिज करने को भी चुनौती दी गई है।

(2)याचिकाकर्ता का दलील दिया गया मामला यह है कि वह 08.09.1981 को एक कांस्टेबल के रूप में शामिल हुआ और बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों को लगन और बुद्धिमानी से निभा रहा है। श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा के गन-मैन के रूप में तैनात होने के दौरान, उन्हें 30.11.1993 को परनाला बैरियर पर तैनात किया गया था और 07.12.1993 को अपनी नई पोस्टिंग के स्थान पर शामिल होने के लिए उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता बीमारी के कारण अपनी ड्यूटी में शामिल नहीं हो सका और अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक अस्पताल या दूसरे अस्पताल का दौरा करता रहा और उसकी हालत बिगड़ने और नियंत्रण से बाहर होने के कारण, वह ड्यूटी में शामिल होने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से फिट नहीं पाया गया। दिनांक 04.08.1994 के ओपीडी टिकट का संदर्भ देते हुए कहा गया कि उनका 07.12.1993 से 22.08.1994 तक

इलाज चल रहा था। जब याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 3 के कार्यालय से संपर्क किया और समझाया कि वह लगातार बीमार था, तो उसे बताया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एकतरफा विभागीय जांच की गई थी क्योंकि वह लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित था और जांच में उसका अपराध साबित हो गया था और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उक्त बर्खास्तगी आदेश अधिकारियों को याचिकाकर्ता से 26,08,1994 को प्राप्त हुआ था। उक्त आदेश याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र दिए बिना और बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे और कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना पारित किया गया था। अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की जांच और उसके खिलाफ कार्यवाही और बर्खास्तगी का आदेश पारित किया। जांच अधिकारी ने आरोपों की सारांश सूची और अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची तैयार की थी और याचिकाकर्ता को 08.03.1994 को बुलाया था और नोटिस याचिकाकर्ता के घर के पते पर भेजा गया था, लेकिन कहीं भी याचिकाकर्ता को यह प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद, याचिकाकर्ता के घर के पते पर 04.04.1994 को एक और पंजीकृत नोटिस फिर से भेजा गया था, लेकिन उक्त पत्र बिना सुपुर्दगी के वापस प्राप्त हो गया था और याचिकाकर्ता घर के पते पर मौजूद नहीं पाया गया था और परिवार के सदस्यों ने पंजीकृत पत्र की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया था। जांच अधिकारी ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया और उसी की प्रति घर के पते पर भेजी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया क्योंकि परिवार के किसी भी सदस्य को यह नहीं मिला था। अनुलग्नक पी-2 के अनुसार, याचिकाकर्ता को बचाव पक्ष के गवाहों की सूची प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया था और इस जानकारी की कोई तामील नहीं हुई थी। जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद फिर से कोई सेवा नहीं दी गई और आदेश पारित किया गया और किसी भी स्तर पर, याचिकाकर्ता को संबद्ध नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर प्रतिवादी नंबर 3 के समक्ष अपील दायर की थी, लेकिन उसने 14.12.1994 को अपील खारिज कर दी थी और इसी तरह प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष दायर संशोधन को भी पूर्व विभागीय कार्यवाही के खिलाफ खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सुरक्षा के लिए विभिन्न दस्तावेज मांगे थे, लेकिन उक्त सामग्री उसे इस आधार पर नहीं दी गई कि उसे पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। तदनुसार, वर्तमान याचिका पंजाब पुलिस नियम, 1934 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है) (इसके बाद 'पुलिस नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 16.2 पर भरोसा करते हुए दायर की गई थी कि अधिकारियों ने सेवा के कार्यकाल को ध्यान में नहीं रखा था।

(3)राज्य ने अपने लिखित बयान में प्रारंभिक निवेदन किया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा 01-03-1994 को विभागीय जांच का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता को उसके घर के

पते पर दिनांक 08.03.1994 का नोटिस भेजा गया था लेकिन वह उपलब्ध नहीं था। 04.04.1994 को एक और नोटिस भेजा गया था जिसे इस रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त किया गया था कि याचिकाकर्ता घर के पते पर उपलब्ध नहीं था। एक और नोटिस दिया गया था भेजा और विशेष संदेशवाहक की रिपोर्ट यह थी कि याचिकाकर्ता उपलब्ध नहीं था। याचिकाकर्ता की मां ने नोटिस की तामील स्वीकार करने और चौकीदार धारे राम की उपस्थिति में याचिकाकर्ता के ठिकाने का खुलासा करने से इनकार कर दिया था। प्रतिवादी नंबर 3 ने संतुष्ट महसूस करते हुए कि याचिकाकर्ता जानबूझकर नोटिस की तामील से बच रहा था और सूचना के बावजूद कार्यवाही में भाग नहीं ले रहा था, 16.05.1994 को पूर्व पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया। जांच अधिकारी ने एकपक्षीय साक्ष्य को अभिलिखित करने की तारीख की सूचना देते हुए दिनांक 17-05-1994 को पुन नोटिस भेजा। याचिकाकर्ता की मां और पत्नी ने 18.05.1994 को धारे राम, चौकीदार की उपस्थिति में नोटिस को स्वीकार करने या उसका ठिकाना बताने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता को एसआई आईओ, पुलिस स्टेशन सदर, रोहतक के नोटिस के माध्यम से दिनांक 17.06.1994 के नोटिस के माध्यम से बुलाया गया था और स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल सिरी भगवान नंबर 961 से मुलाकात की थी और खुद नोटिस स्वीकार किया था, लेकिन अपने भाई-रामफाल के हस्ताक्षर डाल दिए थे। इसलिए, याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाही का स्पष्ट ज्ञान था, लेकिन जानबूझकर इसमें शामिल नहीं हुआ। जांच में अभियोजन पक्ष के गवाहों का बयान दर्ज किया गया और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तैयार किया गया जिसे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, रोहतक ने 05.07.1994 को मंजूरी दे दी। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.1994 और 12.07.1994 के नोटिस के साथ याचिकाकर्ता को आरोप की प्रति भी भेजी गई थी। याचिकाकर्ता ने न तो बचाव पक्ष के गवाहों की कोई सूची सौंपी और न ही कोई लिखित जवाब दिया। जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को जानबूझकर अनुपस्थित रहने के आरोप में दोषी ठहराते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सेवा से बर्खास्तगी की प्रस्तावित सजा का कारण बताओ नोटिस के साथ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, रोहतक द्वारा याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट भेजी गई। याचिकाकर्ता की पत्नी ने अपने गांव गड्डी खीरी के सिलाक राम, टेक राम लंबरदार और ईश्वर सिंह की उपस्थिति में नोटिस स्वीकार किया। कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था और अंततः याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का आदेश तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, रोहतक द्वारा पारित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील और पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया गया।

(4)गुण-दोष के आधार पर, यह दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ता की भविष्य की दो वेतनवृद्धियां 18.06.1991 से 08.07.1991 तक उसकी अनुपस्थिति के कारण स्थायी प्रभाव से रोक दी गई थीं। याचिकाकर्ता की दो भावी वेतनवृद्धि 07.12.1991 से 20.11.1992 तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण रोक दी गई थी। याचिकाकर्ता की दो भावी वेतन वृद्धि को चरित्र रोल में प्रविष्टि के अनुसार ओबी संख्या 377/91 के माध्यम से रोक दिया गया था। याचिकाकर्ता को वर्ष 1995 में दो मौकों पर अनुपस्थिति के लिए 10 दिन की ड्रिल सजा और ओबी नंबर 136/87 के तहत अनुपस्थिति के लिए 10 दिन की ड्रिल सजा का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता को फिर से ओबी नंबर 223/87 के तहत 10 दिन की ड्रिल की सजा दी गई और ड्यूटी से अनुपस्थिति के लिए ओबी नंबर 696/86 के तहत सावधान रहने की चेतावनी दी गई। इसी तरह ओबी नंबर 1086/86 के तहत अनुपस्थिति के लिए सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी। याचिकाकर्ता पहले भी कई मौकों पर वसीयत में अनुपस्थित रहा था, याचिकाकर्ता द्वारा जांच के दौरान या उसकी अपील के दौरान चिकित्सा प्रमाण पत्र कभी पेश नहीं किया गया था और यह बाद में सोचा गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने चरखी दादरी में अपना इलाज कराने का विकल्प चुना, जो मूल स्थान नहीं था और उसका पैतृक गांव रोहतक से 5 किलोमीटर दूर था। उसने जानबूझकर कार्यवाही में शामिल होने से परहेज किया था और अपनी पहचान छिपाई थी और रामफल सिंह के नाम पर दिनांक 17.06.1994 को नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे। याचिकाकर्ता का आचरण गंभीर था और इसलिए, बर्खास्तगी का आदेश सही तरीके से पारित किया गया था और वह पेंशन के लिए किसी भी दावे का हकदार नहीं था। याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों ने कभी भी उसके ठिकाने के बारे में खुलासा नहीं किया और उपरोक्त तथ्यों ने उसके शरारती आचरण की मात्रा को उजागर किया।

(5)याचिकाकर्ता के वकील ने सबसे पहले प्रस्तुत किया कि गवाहों की सूची में उल्लिखित व्यक्तियों ने यह साबित नहीं किया कि याचिकाकर्ता पर कभी सेवा प्रभावित हुई थी और इसलिए, उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही बिना कारण के थी और उचित नहीं थी। डॉ. रमेश चंद्र त्यागी ***बनाम*** भारत संघ (आई) ***पर भरोसा किया गया था,*** यह तर्क देने के लिए कि याचिकाकर्ता पर सेवा लागू नहीं की गई थी। दूसरे, यह प्रस्तुत किया गया था कि नियमों के नियम 16.2 के अनुसार, बर्खास्तगी केवल कदाचार के सबसे गंभीर कार्य के लिए दी जानी थी और किसी भी असुधार्यता और पुलिस सेवा के लिए पूर्ण अयोग्यता साबित करने वाले निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव के लिए बर्खास्तगी दी जानी थी। बर्खास्तगी के इस तरह के आदेश को पारित करते समय, व्यक्ति की सेवा के कार्यकाल और पेंशन के लिए उसके दावे को ध्यान में रखा जाना था। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया

था कि याचिकाकर्ता 08.09.1981 को नियोजित किया गया था और 19.08.1994 को बर्खास्त कर दिया गया था, वह अपनी पेंशन का हकदार था और अधिकारियों ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा। तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा पूर्व कांस्टेबल मलकियत सिंह ***बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2), धर्म पाल*** बनाम ***हरियाणा राज्य और अन्य***/3/और एक डिवीजन बेंच के फैसले

1994 (2) SCC 416

(1) 2012 (4) SCT 323
(2) 2009 (4) SCT 130

धन सिंह ***बनाम*** हरियाणा राज्य और अन्य (4) ***में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया था।*** इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को एक व्यक्तिगत सुनवाई दी जानी चाहिए थी और गुरबचन सिंह बची बनाम पंजाब राज्य और अन्य (5) पर भरोसा किया गया था।

(6)दूसरी ओर, राज्य ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक आदतन अनुपस्थित था और उसे ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थिति के लिए चार बार दंडित किया गया था, जिसे प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा देखा गया था और तदनुसार, प्रार्थना की कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए क्योंकि याचिकाकर्ता आठ महीने से अधिक समय तक अनुपस्थित रहा था और यहां तक कि वर्दीधारी कर्मियों के लिए एक दिन की अनुपस्थिति भी गंभीर कदाचार थी।

(7)बर्खास्तगी को नियंत्रित करने वाला प्रावधान पुलिस नियमों का 16.2 है। उक्त प्रावधान निम्नानुसार है: -

> *[16.2. बर्खास्तगी- (1) बर्खास्तगी केवल कदाचार के सबसे गंभीर कृत्यों के लिए या निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव के रूप में दी जाएगी जो पुलिस सेवा के लिए असुधार्यता और पूर्ण अयोग्यता साबित करती है। इस तरह के एक पुरस्कार बनाने में वह अपराधी की सेवा के कार्यकाल और पेंशन के लिए अपने दावे के लिए किया था.*

"स्पष्टीकरण- उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित को, अन्य बातों के साथ, अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले पुलिस अधिकारी के संबंध में कदाचार का सबसे गंभीर कार्य माना जाएगा: -

(i) जासूसी या तस्करी गतिविधियों में शामिल होना:

(ii) परिवहन या संचार के साधनों को बाधित करना:

(iii) सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना:

(iv) साथी पुलिसकर्मियों के बीच अनुशासनहीनता पैदा करना:

(v) धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देना:

(vi) हड़ताल या सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाना या सामूहिक परहेज का सहारा लेना;

(3) 2008 (3) SCT 816
(4) 2004 (1) SCT 568

(vii) सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाना; और

(viii) जिससे दंगे और जीवन का कारण बनता है।"

(8)उक्त प्रावधान की माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा इस मुद्दे के संबंध में कई बार जांच की गई है कि कदाचार का सबसे गंभीर कार्य क्या है और पुलिस सेवा के लिए असुधार्यता और पूर्ण अयोग्यता क्या है। अपराधी की सेवा अवधि और पेंशन के लिए उसके दावे के दूसरे भाग की भी बार-बार जांच की गई है। **पंजाब राज्य और अन्य बनाम राम सिंह पूर्व कांस्टेबल (6)** *के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ* ने उपरोक्त नियम को दो श्रेणियों में विभाजित किया और माना कि दोनों की अलग-अलग जांच की जानी चाहिए और सबसे पहले यह दंडित प्राधिकारी द्वारा देखा जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता का कदाचार एकल कार्य है या इसमें कई कार्य शामिल हैं और यहां तक कि एक ही अधिनियम के मामले में भी, क्या यह बर्खास्तगी के आदेश को देने के लिए पर्याप्त था। नियम के दूसरे भाग के संबंध में, यह माना गया था कि व्यक्ति की अयोग्यता के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखने के बाद, अपराधी की सेवा की अवधि और पेंशन के लिए उसके दावे को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, दंड प्राधिकारी द्वारा सेवा की लंबी अवधि और पेंशन के लिए उसके दावे की भी जांच की जानी थी ताकि

व्यक्ति को आनुपातिक पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार है: -

"7. नियम 16.2 (1) में दो भाग होते हैं। पहला भाग कदाचार के गंभीर कृत्यों के लिए संदर्भित है जिसमें बर्खास्तगी का आदेश देना शामिल है। निस्संदेह गंभीर कदाचार और गंभीर कदाचार के बीच अंतर है, बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले यह अनिवार्य होगा कि बर्खास्तगी का आदेश केवल तभी किया जाना चाहिए जब कदाचार के गंभीर कार्य हों, क्योंकि यह लंबी सेवा के बाद डिलीक्वेंट के पेंशन अधिकारों पर अतिक्रमण करता है। जैसा कि कहा गया है, पहला भाग कदाचार के सबसे गंभीर कृत्यों से संबंधित है। सामान्य खंडों के तहत अधिनियम एकवचन में बहुवचन शामिल हैं, अधिनियम में अधिनियम शामिल हैं। यह तर्क कि बर्खास्तगी देने के लिए कदाचार के कृत्यों की बहुलता होनी चाहिए, कठोर है। 'कार्यों' शब्द में एकवचन 'कार्य' भी शामिल होगा। यह शिकायत किए गए कृत्यों की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि इसकी गुणवत्ता, कपटी प्रभाव और स्थिति की गंभीरता है जो अपमानजनक अधिनियम से उत्पन्न होती है। सबसे गंभीर कार्य का रंग आसपास या उपस्थित परिस्थितियों से इकट्ठा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उस अपराधी को लें जिसने 29 वर्षों की निरंतर सेवा में रखा और उसका बेदाग रिकॉर्ड था; 30 वें वर्ष में वह सार्वजनिक धन का गबन करता है या दुरुपयोग को छिपाने के लिए झूठे रिकॉर्ड गढ़ता है। उसने केवल एक बार प्रतिबद्ध किया। क्या इसका मतलब यह है कि उसे बर्खास्तगी की सजा नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उस वर्ष के लिए सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उसे अपनी पूरी पेंशन मिल सके। जवाब स्पष्ट रूप से नहीं है। इसलिए, भ्रष्टाचार का एक भी कार्य नियमों के तहत बर्खास्तगी के आदेश को कदाचार के सबसे गंभीर कार्य के रूप में देने के लिए पर्याप्त है।

(5) (1992) 4 SCC 54

*8.*नियम का दूसरा भाग निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव को दर्शाता है जो पुलिस सेवा की असुधार्यता और पूर्ण अयोग्यता साबित करता है और यह कि अपराधी की सेवा की अवधि और पेंशन के लिए उसके दावे को एक उपयुक्त मामले में ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह तर्क कि दोनों भागों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, हमें अतार्किक प्रतीत होता है। दूसरा भाग चरित्र में नाबालिग के कदाचार के लिए संदर्भित है जो अपने आप में बर्खास्तगी के आदेश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कदाचार के निरंतर कृत्यों के कारण सेवा मनोबल पर कपटी संचयी प्रभाव होगा, सुधार का अवसर देने के लिए उदार दृष्टिकोण लेने का आधार हो सकता है। ऐसे अवसर प्रदान करने के बावजूद यदि अपराधी अधिकारी सुधरने योग्य साबित नहीं होता है और सेवा में अनुशासन बनाए रखने की तुलना में सेवा में बने रहने

के लिए पूरी तरह से अयोग्य पाया जाता है, तो अपराधी अधिकारी को बर्खास्त करने के बजाय, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदावनति की कम सजा या निचले ग्रेड या रैंक में पदावनति या सेवा से हटाने की उसकी भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित किए बिना, यदि कोई हो,

तो न्याय के सिरों को पूरा कर सकता है। उदाहरण के लिए अपराधी अधिकारी को लें जो आवश्यकता पड़ने पर ड्यूटी से आदतन अनुपस्थित रहता है। खुद को सुधारने का मौका देने के बावजूद वह ड्यूटी से दूर रहते हैं। उन्होंने खुद को असुधार्य साबित किया और इस तरह सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य साबित किया। *इसलिए, उसकी लंबी सेवा अवधि और पेंशन के लिए उसके दावे को ध्यान में रखते हुए, उसे अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सकता है ताकि वह आनुपातिक पेंशन अर्जित कर सके।' नियम का दूसरा भाग उस क्षेत्र में संचालित होता है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि घोर कदाचार के लिए सेवा से बर्खास्तगी के आदेश में सभी पेंशन लाभों को जब्त किया जा सकता है। इसलिए, शब्द या शब्द को और के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह विघटनकारी और स्वतंत्र होना चाहिए। दोनों खंडों को जोड़ने वाली सामान्य कड़ी" सबसे गंभीर कृत्य/कदाचार का कार्य ।*

(9)उक्त दृष्टिकोण क्षेत्र में जारी है और यह उक्त टिप्पणियों के मद्देनजर है, इस मामले की जांच की जानी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता ऐसा कर्मचारी था जिसकी असुधार्यता और पुलिस सेवा के लिए पूर्ण अयोग्यता थी। पुलिस अधीक्षक, रोहतक के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता 07.12.1993 से अनुपस्थित रहा जब उसे अपने स्थानांतरण पर राहत मिली थी, लेकिन उसने न तो अपनी पोस्टिंग के स्थान पर और न ही पुलिस लाइन, रोहतक में रिपोर्ट की। यह कि जांच अधिकारी को लगभग तीन महीने बाद 01.03.1994 को नियुक्त किया गया था जब याचिकाकर्ता ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता था। उक्त जांच अधिकारी ने समन जारी किया, एसएचओ, पुलिस स्टेशन सदर के माध्यम से घर के पते पर नोटिस भेजा लेकिन याचिकाकर्ता विभागीय जांच में शामिल नहीं हुआ, बाद में पंजीकृत नोटिस फिर से 04.04.1994 को भेजा गया और परिवार के सदस्यों ने पंजीकृत पत्र की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। अंतत: 16-05-1994 को एकपक्षीय कार्यवाही शुरू की गई। जांच की कार्यवाही में, विभाग ने 10 गवाहों से पूछताछ की, जिन्होंने बयान दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी पहले की पोस्टिंग और उसके ठिकाने पर खोजने के प्रयास किए गए थे और यह पता लगाने के लिए कि वह विभागीय जांच के नोटिस को देने की कोशिश के अलावा कहां था। इसके बाद, जांच अधिकारी ने उसे आरोप का दोषी मानते हुए अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। जांच अधिकारी के

निष्कर्ष के साथ-साथ दिनांक 29.07.1994 को कारण बताओ नोटिस भी कांस्टेबल रणबीर सिंह के माध्यम से याचिकाकर्ता को भेजा गया था। उनकी पत्नी ने गांव के दो आदरणीय लोगों की उपस्थिति में नोटिस लेने से इनकार कर दिया और इस पहलू के बारे में 29.07.1994 को एक रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके बाद ही प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा 19.08.1994 को बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को उसकी जानबूझकर अनुपस्थिति के कारण पहले चार दंड दिए गए थे। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी नंबर 3 इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता एक आदतन अनुपस्थित था और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह याचिकाकर्ता की ओर से कदाचार और अनुशासनहीनता का एक गंभीर कार्य था जो *नियम 16.2 के स्पष्टीकरण के खंड (iv) के तहत आएगा* , ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार,

पुलिस अधीक्षक, रोहतक द्वारा पहले भाग के बारे में पारित आदेश में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से असुधार्य और पुलिस सेवा के लिए पूरी तरह से अयोग्य था। इस न्यायालय द्वारा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में बार-बार यह माना गया है कि पुलिस बल एक अनुशासित बल है। यहां तक कि थोड़े समय के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहना भी गंभीर कदाचार होगा। करनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य (7) और उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अशोक कुमार सिंह और अन्य (8) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है।

(10) वर्तमान मामले में, जैसा कि यह देखा गया है कि 19.08.1994 को बर्खास्तगी का आदेश पारित होने के बाद ही और याचिकाकर्ता द्वारा 23.08.1994 को प्राप्त किया गया था, याचिकाकर्ता को अचानक इस तथ्य के बारे में पता चला कि उसे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना था और वह अभी भी सेवा में था और फिर 8 महीने से अधिक समय तक ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करने के बाद 22.09.1994 को अपील दायर की। यह अनुपस्थिति अपने आप में गंभीर कदाचार थी जैसा कि दंड देने वाले प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया गया था।

(7) 1993 (3) PUR 117
(8) (1996) 1 SCC 302

(11)याचिकाकर्ता, हालांकि, अपनी सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए कम सजा की राहत का हकदार है, क्योंकि माना जाता है कि उसे 08.09.1981 को नियुक्त किया गया था और 19.08.1994 को बर्खास्तगी की तारीख को उसकी लगभग 13 साल की सेवा थी। 'दंडित करने वाले प्राधिकारी ने उसे बर्खास्त करते हुए, सेवा की लंबाई और आक्षेपित आदेश में पेंशन के लिए उसके दावे को ध्यान में रखने में विफल रहा। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 के समक्ष अपनी अपील में भी पेंशन के लिए अपने दावे को आगे बढ़ाया लेकिन प्रतिवादी नंबर 2 और 3 इस पहलू पर विचार करने में विफल रहे और अपील और पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। सेवा की अवधि और दण्ड प्राधिकारी द्वारा इसकी सम्यक परीक्षा के संबंध में इस प्रस्ताव को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरजीत *सिंह और अन्य* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य (9)* के मामले में भी विस्तार दिया गया है। वर्ष 1984 की घटना के बाद से न्याय के सिरों को पूरा करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति। फैसले का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है: -

> *"15. उपरोक्त स्थिति में, आमतौर पर, हम अनुशासनात्मक प्राधिकारी से इस मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए कहते, लेकिन घटना वर्ष 1984 में हुई थी। अपीलकर्ताओं और उक्त परमिंदर सिंह ने केवल कुछ वर्षों तक काम किया था, उनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। उपर्युक्त स्थिति में, हमारी राय है कि हम सजा की मात्रा तय करने के लिए उचित होंगे। हमारी राय है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और विशेष रूप से समय बीतने के संबंध में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। यदि*

अन्य पात्र हैं, तो अपराधी सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार होंगे।'अपील को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।"

(12)एसआई सुरिंदर सिंह *बनाम* पंजाब राज्य और अन्य (10) *में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच* ने अनुपस्थिति के कारण सेवा की बर्खास्तगी से संबंधित एक मामले में देखा कि उक्त कर्मचारी के पास बर्खास्तगी की तारीख तक 20 साल की सेवा थी और तदनुसार, निर्देश दिया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया जाए ताकि व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति की बकाया राशि प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। इसी प्रकार, ***शिव राज सिंह सिद्धू बनाम भारत संघ*** और अन्य (11) मामले में एक अन्य खंडपीठ ने कर्मचारी के 33 वर्ष के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया कि दो वर्ष की सेवा जब्त करने का दंड उचित था और उसे पेंशन के लाभ का हकदार बनाने के लिए 30-11-2004 को सेवानिवृत्त माना गया था।

(9) (2007) 9 SCC 5 82
(10) 2008(4)SCT72
(11) 2011 (2)SCT626

धन सिंह के मामले (सुप्रा) में भी, 11 साल और 9 महीने की सेवा करने वाले याचिकाकर्ता की सेवा को डिवीजन बेंच ने ध्यान में रखा और एक निर्देश जारी किया गया कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

(13)'**पूर्व *कांस्टेबल मलकियत सिंह मामले (सुप्रा)*** *में निर्णय, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, पंजाब* राज्य और अन्य बनाम राम सिंह के मामले (सुप्रा) *में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार न करने के मद्देनजर लागू नहीं होगा* और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता पहले भी चार बार अनुपस्थित था और उस खाते पर दंडित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित उक्त निर्णय में, दंड देने वाले प्राधिकारी ने ऐसी कोई खोज दर्ज नहीं की थी जैसा कि

वर्तमान मामले में किया गया है। ***धर्म पाल के मामले (सुप्रा)*** में, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सजा अनुपातहीन थी और 37 साल की सेवा थी और यह कर्तव्य से अनुपस्थिति का मामला नहीं था और इस प्रकार, लागू नहीं होगा। ***गुरबचन सिंह बच्ची के मामले (सुप्रा)*** *का निर्णय केवल प्राकृतिक न्याय और बिजली बोर्ड के एक सदस्य को हटाने के मुद्दे से* संबंधित है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी और दंड देने वाले प्राधिकारी के सामने पेश होने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा और इसलिए, उक्त निर्णय लागू नहीं होगा। इसी तरह, ***डॉ. रमेश चंद्र त्यागी के मामले (सुप्रा) के*** फैसले में सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एकपक्षीय कार्यवाही उचित नहीं थी और यह वर्दी वाले व्यक्ति का मामला नहीं था बल्कि एक शोध सहायक का मामला था।

(14)तदनुसार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी के समय लगभग 13 साल की सेवा थी और अनुशासनात्मक अधिकारियों द्वारा सेवा की अवधि को ध्यान में नहीं रखा गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बर्खास्तगी का आदेश 19.08.1994 को वापस पारित किया गया था, यह उचित होगा यदि इसे 19.08.1994 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में बदल दिया जाए और प्रतिवादी निवृत्ति लाभ जारी करने के लिए याचिकाकर्ता, यदि नियमों के अनुसार हकदार है। उक्त प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर की जाएगी।

(15)ऊपर उल्लिखित सीमा तक दायर रिट याचिका की आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा